मध्य प्रदेश शासन

कृषि विभाग

क्रमांक / बी–7 / 14–2 / यो. भोपाल,दिनांक :–15.06.1999

आदेश क्रमांक –1 / उद्यानिकी / फल पौध रोपण कार्यक्रम

प्रति,

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से फल पौध रोपण कार्यक्रम के (राज्य योजना) के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश।

योजना का प्रारंभ :–

अब तक विभागीय फल पौध रोपण योजना का क्रियान्वयन सीधे विभाग द्वारा किया जाता रहा है। वर्ष 1999–2000 से इसे पंचायत संस्थाओं के नियंत्रण में क्रियान्वयन के लिये सौंपा जा रहा है।

योजना का उद्देश्य :–

1. जिले के फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना।

(परिशिष्ट – 2)

क्रियान्वयन एवं समयावधि तालिका (फल पौध रोपण अनुदान योजना)

अनु.क्र.	कार्य विवरण	समयावधि	क्रियान्वित अधिकारी
1	लक्ष्य का निर्धारण पृष्ठ – 8	माह नवंबर तक	सहायक संचालक उद्यान
2.	ग्रामों एवं समूहों का चयन, पृष्ठ–3	31 दिसम्बर तक 20 जनवरी तक	जिला पंचायत सहायक संचालक उद्यान
3.	हितग्राहियों का चयन एवं सूची सभा में अनुमोदन पृष्ठ – 4	28 फरवरी तक	उद्यान अधीक्षक
4.	अनुमोदित सूची सहायक संचालक उद्यान को भेजेंगे पृष्ठ –5	15 मार्च तक	उद्यान अधीक्षक
5.	कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति हेतु सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजेंगे पृष्ठ–5	25 मार्च तक	सहायक संचालक उद्यान

6.	हितग्राही कृषकों का प्रशिक्षण पृष्ठ–9	7 अप्रैल तक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
7.	हितग्राही कृषकों का प्रशिक्षण पृष्ठ–6	माह अप्रैल तक	उद्यान अधीक्षक
8.	ले–आउट एवं गड्ढ़ा खुदाई कार्य, पृष्ठ – 9	30 मई तक	मैदानी कार्यकर्ता
9.	रोपण पूर्व किये गये कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, सहायक संचालक उद्यान को भेजेंगे पृष्ठ – 9	15 जून तक	उद्यान अधीक्षक
10.	पूर्व वर्षो के बगीचों में गेप–फिलिंग एवं पौध संरक्षण कार्य, पृष्ठ – 9	माह अगस्त	मैदानी कार्यकर्ता
11.	नये फलोद्यान में पौध रोपण कार्य, पृष्ठ – 1	30 सितंबर तक	मैदानी कार्यकर्ता
12.	पौध रोपण उपरांत प्रपत्र 1,2,3 पूर्ण कर, सहायक संचालक उद्यान को भेजेंगे, पृष्ठ – 1	30 अक्टूबर तक	उद्यान अधीक्षक
13.	प्रपत्र 1,2,3 के साथ पूर्ण प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजेंगे, पृष्ठ – 1	30 नबंबर तक	सहायक संचालक उद्यान
14.	प्रकरण को स्वीकृत कर सहायक संचालक उद्यान को वापस करेंगे, पृष्ठ – 10	10 दिसंबर तक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
15.	रोपित पौधों में जीवित पौधों का सत्यापन, पृष्ठ – 10	माह नवंबर तक माह अक्टूबर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी / सहायक संचालक उद्यान / उद्यान अधीक्षक
16.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पौधों का सत्यापन उपरांत अनुदान स्वीकृति प्रस्ताव भेजेंगे, पृष्ठ–10	10 सितंबर	सहायक संचालक उद्यान

प्रपत्र – 1
फलपौध रोपण अनुदान योजना

जिला... विकास खंण्ड...
अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन – पत्र

प्रति,
सहायक संचालक उद्यान
....
जिला ....

——————0——————

द्वारा :–उचित माध्यम (उद्यान अधीक्षक...)

निवेदन है कि मैं कृषक.. आत्मज.. ग्राम .... विकास खण्ड.. जिला............................... फल पौध रोपण अनुदान योजना के अंतर्गत मेरे स्वामित्व की भूमि......................... रकबा............. खसरा कमांक .... में...का उद्यान लगाना चाहता हूॅ।

पूर्व में मैंने अपनी भूमि पर .... रकबे में............................... फलों...................... (फलों के नाम लिखें) का उद्यान लगाया है। मुझे इस कार्य में रूचि है। मेरे पास सिंचाई के सुनिश्चित् साधन उपलब्ध है। मेरी भूमि उपयुक्त है।

मैं योजना के प्रावधान के अनुसार उद्यान विभाग के अधिकारियों की सलाह से कार्य करूंगा। अतः निवेदन है कि मुझे योजना में प्रस्तावित वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप अनुदान स्वीकृत किया जावें।

योजना के माध्यमों के अनुरूप मैं, यह भी वचन देता हूॅ। कि उद्यान में लगाये गये पौधों में से कम से कम 80 प्रतिशत् पौधे जीवित रखूंगा तथा पौधों के रख रखाव पर उचित ध्यान दूंगा। यदि पौधों का जीवित प्रतिशत् निरीक्षण के समय कम पाया जावे या उद्यान का रख रखाव उचित ढंग से न होने की स्थिति में मुझे दी गई अनुदान की समस्त राशि एक मुश्त राजस्व की बकाया राशि के रूप में विभाग द्वारा वसूल कर ली जावें।

गवाह के हस्ताक्षर...

हस्ताक्षर कृषक ....

——————0——————

मध्य प्रदेश शासन

कृषि विभाग

क्रमांक/बी–7/17/99/14–2/ भोपाल,दिनांक :–1.06.1999

आदेश क्रमांक – 2/उद्यानिकी/समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम

प्रति,

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम के (राज्य योजना) क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश (1999–2000)।

योजना का प्रारंभ :–

अब तक यह योजना विभाग द्वारा सीधे क्रियान्वित की जा रही थी। वर्ष 1999–2000 से इसे जिला पंचायत के नियंत्रण में क्रियान्वयन हेतु सौंपा जा रहा है।

योजना का उद्देश्य :–

1. उच्च उत्पादकता एवं गुणवत्ता की किस्मों का बीज किसानों को प्रदाय कर सब्जी उत्पादन का क्षेत्र/उत्पादन बढ़ाना।
2. सब्जी उत्पादन कर सब्जी उत्पादकों की आय बढ़ाना।
3. उत्पादन बढ़ा कर सब्जी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराना।

क्रियान्वयन की समयावधि तालिका
(समन्वित सब्जी विकास योजना)

परिशिष्ट – 1

अनु. क्र.	कार्य विवरण	समयावधि	क्रियान्वयन अधिकारी
1.	ग्राम समूह का चयन	माह मार्च	जिला पंचायत सहायक संचालक उद्यान
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम		
	खरीफ	माह मई	उद्यान अधीक्षक
	रबी	माह सितम्बर	
	ग्रीष्म	माह जनवरी	
3.	आदान व्यवस्था		
	खरीफ	15 मई	सहायक संचालक उद्यान
	रबी	माह सितम्बर	

	ग्रीष्म	माह दिसम्बर	
4.	स्वीकृति प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजना।		सहायक संचालक उद्यान
	खरीफ	30 अप्रैल	
	रबी	30 जुलाई	
	ग्रीष्म	30 नवम्बर	
5.	प्रस्ताव स्वीकृत कर सहायक संचालक उद्यान को भेजना		मुख्य कार्यपालन अधिकारी
	खरीफ	15 मई	
	रबी	15 अगस्त	
	ग्रीष्म	15 दिसम्बर	

——————0——————

मध्य प्रदेश शासन

कृषि विभाग

क्रमांक / बी–7 / 14–2 / भोपाल,दिनांक :–1.06.1999

आदेश क्रमांक यो–3 / उद्यानिकी

प्रति,

विषयः– पंचायतों के माध्यम से शिखा रोपण (टॉपवर्किंग) कार्यक्रम (राज्य योजना) के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश (1999–2000)।

योजना का प्रारंभ :–

यह योजना पूर्व से ही विभागीय फलोद्यान रोपण अनुदान योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1999–2000 में पूर्व के प्रावधानों में संशोधन करते हुए जिला पंचायत के नियंत्रण में पूर्ण रूप से सौंपी जा रही है।

योजना का उद्देश्य :–

1. टॉप वर्किंग के माध्यम से देशी बेर, आम, आंवला, के पौधों को उन्नत्शील किस्मों में परिवर्तित कर अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि करना।
2. स्थानीय लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्वि करना।

योजना का क्रियान्वयन

प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त तैयार की गई सूची के अनुसार माह फरवरी / मार्च में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के सहायोग से देशी पेड़ कृषकों द्वारा काटा जाना सुनिश्चित् करेंगे। काटे गये पेड़ा पर नये कल्ले आने पर 15 अप्रैल से वर्षा के पूर्व तक बडिंग का कार्य सम्पन्न करेंगे। बडिंग करने के उपरान्त ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी / उद्यान अधीक्षक, किये गये बडिंग कार्य का सर्वे कर कार्य सुनिश्चित् करेंगे।

सर्वे अनुसार तैयार की गई प्रशिक्षणार्थीवार सफल पौधों की सूची को उद्यान अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे। सहायक संचालक उद्यान जिले की समस्त सूची तैयार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्तीकृति हेतु 15 जुलाई तक भेजेंगे तथा 30 जुलाई तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वीकृत कर सहायक संचालक उद्यान/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत को भेजेंगे। सहायक संचालक उद्यान स्वीकृत सूची के आधार पर देयक तैयार कर जिला पंचायत को आहरण हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा राशि संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान करवायेंगे।

------0------

मध्य प्रदेश शासन

कृषि विभाग

क्रमांक / बी–7 / 14–2 / भोपाल,दिनांक :–1.06.1999

आदेश क्रमांक यो / उद्यानिकी

प्रति,

विषयः– पंचायतों के माध्यम से केला प्रदर्शन कार्यक्रम (राज्य योजना) के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश (1999–2000)

योजना का प्रारंभ :–

यह योजना अब तक विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, किन्तु अब वर्ष 1999–2000 से पंचायत राज व्यवस्थाओं के माध्यम से कंडिका 3.1 की सीमा तक क्रियान्वयन हेतु सौंपी जाती है।

योजना का उद्देश्य :–

1. केला फसल की उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियों के टिशू कल्चर पौधें एवं नवीन तकनीकी का प्रदर्शन आयोजित कर उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्वि करने, कृषकों को प्रेरित करना।
2. प्रांत की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल केला प्रजातियों के प्रसार की संभावनाओं का पता लगाना एवं उन क्षेत्रों में उत्पादकों को प्रेरित कर क्षेत्र बढ़ाना।
3. केला क्षेत्र में वृद्वि कर उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आमदनी बढ़ाना।

योजना का क्रियान्वयन

1. योजना के क्रियान्वयन की इकाई ग्राम होगा।
2. ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा प्रदर्शन प्रखण्डों के ले–आऊट का कार्य किया जावेगा।
3. तकनीकी मार्गदर्शन की पूर्ण जिम्मेदारी उद्यानिकी अमले की होगी।

4. मृग बहार केला रोपण का कार्य 30 जून तथा कांदा बहार का 30 अक्टूबर तक पूर्ण करना होगा।
5. टिशू कल्चर केला पौधों की व्यवस्था 15 जून तक सहायक संचालक उद्यान द्वारा की जायेगी।
6. केला फसल में खाद देने एवं सिंचाई आदि के कार्यक्रम का निर्धारण उद्यान अधीक्षक तैयार कर हितग्राही को उपलब्ध करायेंगे।
7. चयनित हितग्राहियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला पंचायत के माध्यम से सहायक संचालक (उद्यान) करेंगे।

——————0——————

मध्य प्रदेश शासन

कृषि विभाग

क्रमांक / बी–14 / 2 / 1606 भोपाल,दिनांक :–19.06.2000

आदेश क्रमांक – 2 उद्यानिकी / समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम

प्रति,

विषयः– समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम के राज्य योजना क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश (2000–2001)

योजना का प्रारंभ :–

यह योजना वर्ष 99–2000 से जिला पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2000–2001 में भी यह योजना जिला पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित की जावेगी।

योजना का उद्देश्य :–

1. उच्च उत्पादकता एवं गुणवता की किस्मों का बीज किसानों के प्रदाय कर सब्जी उत्पादन का क्षेत्र / उत्पादन बढ़ाना।
2. सब्जी उत्पादन कर सब्जी उत्पादकों की आय बढ़ाना।
3. उत्पादन बढ़ाकर सब्जी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराना।

योजना का क्रियान्वयन

1. ग्राम सभा में अनुमोदित सूची के अनुसार उद्यान अधीक्षक अनुदान प्रकरण तैयार कर उप / सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तुत करेगें एवं उप / सहायक संचालक उद्यान जिले के समस्त प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भेजेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी 15 दिवस के अन्दर जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के प्रकरण स्वीकृत कराकर उप / सहायक संचालक उद्यान को वापस करेगें।

2. उप/सहायक संचालक उद्यान खरीफ हेतु 30 अप्रैल तक, रबी हेतु 30 जुलाई तक तथा ग्रीष्म हेतु 30 नवम्बर तक प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत करेंगे।

3. उक्त स्वीकृति उपरांत आदान व्यवस्था के लिये उद्यान अधीक्षक 50 प्रतिशत राशि कृषकों से प्राप्त करेंगे जो कृषक की स्वयं के हिस्से की राशि होगी। इस धन राशि की प्राप्ति हेतु एम.पी.टी.सी.–5 में रसीद उद्यान अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। इस हेतु पेटी कैश बुक उद्यान अधीक्षक अपने कार्यालय में संधारित करेगा।

4. यह राशि अधिकतम एक माह के अन्दर उप/सहायक संचालक उद्यान कार्यालय में उद्यान अधीक्षक द्वारा जमा की जावेगी और जमा राशि अनुसार उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा आदान सामग्री उद्यान अधीक्षक को हितग्राही कृषकों के वितरण के लिये उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त सामग्री उद्यान अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था उप/सहायक संचालक उद्यान/विभागीय स्तर से अथवा संस्थाओं के माध्यम से करेगे तथा सामग्री का वितरण उद्यान अधीक्षक कार्यालय से होगा।

5. उप/सहायक संचालक उद्यान साप्ताहिक रूप से वितरण की जानकारी जिला पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

6. उप/सहायक संचालक उद्यान अनुदान की कृषकवार राशि जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन उपरांत आहरण करके कृषक के हिस्से की राशि को मिलाकर आदान की कीमत के भुगतान की व्यवस्था करेंगे।

क्रियान्वयन की समयावधि तालिका

(समन्वित सब्जी विकास योजना)

अनु.क्र.	कार्य विवरण	समयावधि	क्रियान्वयन अधिकारी
1.	ग्राम समूहा का यचन	माह अप्रैल	जिला पंचायत/उप/सहायक संचालक, उद्यान
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम :		
	खरीफ	माह मई	उद्यान अधीक्षक
	रबी	माह सितंबर	
	ग्रीष्म	माह जनवरी	
3.	आदान व्यवस्था :		
	खरीफ	15 मई	उप/सहायक संचालक, उद्यान
	रबी	माह सितंबर	
	ग्रीष्म	माह दिसंबर	
4.	स्वीकृति प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजना :		
	खरीफ	30 अप्रैल	उप/सहायक संचालक, उद्यान
	रबी	30 जुलाई	
	ग्रीष्म	30 नवंबर	
5.	प्रस्ताव स्वीकृत कर उप/सहायक संचालक, उद्यान को भेजना :		
	खरीफ	15 मई	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
	रबी	15 अगस्त	
	ग्रीष्म	15 दिसंबर	

आवेदन – पत्र

प्रति,

उप/सहायक संचालक, उद्यान

जिला ....

——————0——————

विषयः–...योजना के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र।

मैं, ... पिता/पति श्री .... वार्ड क्र. .... ग्राम .... ग्राम पंचायत....................................... विकास खण्ड..................................... जिला............................ का निवासी हूँ।

निवेदन है कि योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है। मैं इस योजना में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर गवाह :	हस्ताक्षर हितग्राही................................
नाम :................................	नाम ....

——————0——————

मध्य प्रदेश शासन

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / 552 / 610 / 58 / 2006 /   भोपाल, दिनांक 04.08.2006

प्रति,

विषयः—संकर मिर्च उत्पादन योजना के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश 2006—07।

योजना का प्रारंभ :—वर्ष 2006—07 से यह योजना जिला पंचायतों के माध्यम से कियान्वित की जावेगी।

योजना का उद्देश्य :—

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के जीवन स्तर में वृद्धि करना।
2. उपलब्ध भूमि जलवायु व अन्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग।
3. मिर्च फसल का क्षेत्रफल, गुणवत्ता, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
4. अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगारों व अन्य कृषकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
5. स्थानीय स्तर पर मिर्च उत्पादन कर आवश्यकता की पूर्ती करना।
6. अनुसूचित जाति वर्ग के पलायन को रोककर उनके खेतों पर स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
7. संकर मिर्च उत्पादन कराकर कृषकों की आय बढ़ाना।
8. मिर्च के उत्पादन को बढ़ाकर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मिर्च उपलब्ध कराना।

योजना का कियान्वयन

1. ग्राम सभा में अनुमोदित सूची के अनुसार उद्यान अधीक्षक प्रपत्र एक व दो में अनुदान प्रकरण तैयार कर उप/सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तुत करेंगे एवं उप/सहायक संचालक उद्यान जिले के समस्त प्रकरण प्रपत्र तीन में अनुशंसा कर जिले की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन उपरान्त स्वीकृती हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत 15 दिवस के भीतर प्रकरण स्वीकृत कर उप/सहायक संचालक उद्यान को वापस करेंगे।

2. उप/सहायक संचालक उद्यान खरीफ हेतु 30 अप्रैल तक रवी हेतु 30 जुलाई तक तथा जायद हेतु 30 नवम्बर तक प्रकरण स्वीकृत हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रस्तुत करेंगे।

3. उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा आदान सामग्री उद्यान अधीक्षक को हितग्राही कृषकों के वितरण के लिए उपलब्ध कराई जावेगी उक्त सामग्री उद्यान अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था उप/सहायक संचालक उद्यान विभागीय स्तर से अथवा संस्थाओं के माध्यम से करेंगे तथा सामग्री का वितरण उद्यान अधीक्षक कार्यालय से होगा।

4. उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा साप्ताहिक रूप से वितरण की जानकारी जिला पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

5. उप/सहायक संचालक उद्यान अनुदान की कृषकवार राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की स्वीकृती उपरांत आहरण करके आदान प्रदायगी की व्यवस्था करेंगे।

क्रियान्वयन की समयावधि तालिका

क्र.	कार्य का विवरण	समयावधि	क्रियान्वयन अधिकारी
1.	ग्राम समूह का चयन	माह अप्रैल	जिला पंचायत/उप/सहायक संचालक उद्यान
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम		
	खरीफ रवी ग्रीष्म	माह मई माह सितम्बर माह दिसम्बर	उद्यान अधीक्षक
3.	आदान व्यवस्था		
	खरीफ रवी ग्रीष्म	माह मई माह सितम्बर माह दिसम्बर	उप/सहायक संचालक उद्यान
4.	स्वीकृति प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजना		
	खरीफ रवी ग्रीष्म	30 अप्रैल 30 जुलाई 30 नवंबर	उप/सहायक संचालक उद्यान
5.	प्रस्ताव स्वीकृत कर उप/सहायक संचालक उद्यान को भेजना		
	खरीफ रवी ग्रीष्म	30 अप्रैल 30 जुलाई 30 नवंबर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी

<u>आवेदन – पत्र</u>

प्रति,

उप/सहायक संचालक, उद्यान

जिला ....

———0———

विषयः—..योजना के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र।

मैं, ... पिता/पति श्री .... वार्ड क्र........................... ग्राम .... ग्राम पंचायत....................................... विकास खण्ड..................................... जिला........................... का निवासी हूँ।

निवेदन है कि योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है। मैं इस योजना में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर गवाह :	हस्ताक्षर हितग्राही................................
नाम :...............................	नाम ....

———0———

मध्य प्रदेश शासन
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ–6–4/ /2006/58 भोपाल, दिनांक 24.11.2006

// आदेश //

प्रति,

विषयः–मध्य प्रदेश में बाड़ी (किचन–गार्डन) के लिए आदर्श कार्यक्रम में आंशिक संशोधन।

योजना का प्रारंभ :–राज्य शासन द्वारा निर्धारित उच्च प्राथमिकताओं के संदर्भ में म.प्र. शासन वित्त पोषित कार्यक्रम के अंनतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु, सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूर परिवारों को अभियान के रूप में सब्जी–बीज/पौध उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से वर्ष 2000–2001 से प्रारंभ की जा रही है।

योजना का उद्‌देश्य :–

1. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रह लघु, सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को ताजी, पौष्टिक सब्जी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु स्वयं की बाड़ी में सब्जी उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

2. घरों में निस्तार के बाद बेकार हो जाने वाले पानी का उपयोग।

3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे इन लोगों को सब्जी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा अतिशेष को बेचकर आय बढ़ाना।

4. गुणवत्त वाली साग–भाजी का उत्पादन करना।

5. स्थानीय तौर पर उगायी जाने वाली सब्जी की प्रजातियों का विकास।

6. परिवार में उपलब्ध श्रम का समुचित उपयोग।

7. घर के आसपास के वातावरण को शुद्व रखने में मदद।

8. घर के पास उपलब्ध खाली भूमि का समुचित उपयोग।

योजना का कियान्वयन

1. कार्यक्रम का तकनीकी कियान्वयन उप/सहायक संचालक, उद्यान द्वारा किया जावेगा।

2. अनुमोदित सूची के अनुसार कृषकों के रकबे में कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा एक माह पूर्व दी जायेगी।

3. कृषकों के प्रकरण ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे।

4. उप/सहायक संचालक, उद्यान प्रस्तुत प्रकरणों की छानबीन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को स्वीकृति हेतु भेजेगें।

5. उप/सहायक संचालक, उद्यान स्वीकृत प्रकरणों की जानकारी, जिला और जनपद पंचायत तथा विभागाध्यक्ष को देंगे।

6. आदान सामग्री का वितरण जन प्रतिनिधियों के समक्ष कराना होगा।

7. निर्धारित समयावधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एंव जनपद पंचायत से अनुमोदन एवं स्वीकृति न मिलने की दशा में उप/सहायक संचालक, उद्यान कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार कियान्वयन हेतु सक्षम होंगे।

कियान्वयन एवं समयावधि तालिका " 8 "

अ.क.	कार्य विवरण	समयावधि	कियान्वयन अधिकारी
1	भौतिक लक्ष्यों को जिलेवार निर्धारण	10 अप्रैल	संचालक, उद्यानिकी
2	भौतिक लक्ष्यों का विकास खण्डवार निर्धारण	20 अप्रैल	मु.कार्य.अ., जिला पंचायत
3	ग्राम समूह (क्लस्टर) का यचन	30 अप्रैल	मु.कार्य अ. जन. पंचायत
4	आवेदन प्रस्तुत करना	10 मई	हिताग्राही
5	ग्राम सभा से सूची का अनुमोदन	15 मई	ग्रा.उ.वि.अ./व.उ.वि.अ.
6	सूची उ.अधीक्षक को उपलब्ध कराना	20 मई	ग्रा.उ.वि. अधिकारी
7	अनुमोदन हेतु सूची मु.का.अ.जन.पंचा. को देना	25 मई	उद्यान अधीक्षक
8	सूची का अनुमोदन	30 मई	मु.कार्य.अ.जन. पंचायत
9	आदान सामग्री की व्यवस्था	15 मई	उप/सहाय. संचा. उद्यान
10	आदान सामग्री का वितरण	10 जून	ग्रा. उ.वि.अ./व.उ.वि.अ.

<u>प्रपत्र – ''क''</u>

उद्यानिकी संचालनालय द्वारा कियान्वित किये जा रहे सभी कार्यक्रमों के लिये एक रूप आवेदन–पत्र

<u>आवेदन – पत्र</u>

प्रति,

उप/सहायक संचालक, उद्यान

जिला ....

विषयः–..कार्यक्रम के अंतर्गत बीज /फल – पौध उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र।

——————0——————

मैं, ... पिता/पति श्री .... वार्ड क्र........................... ग्राम .... ग्राम पंचायत....................................... विकास खण्ड..................................... जिला............................ का निवासी हूँ।

निवेदन है कि कार्यक्रम के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है। मैं इस कार्यक्रम में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ। जपनद पंचायत...................................... की बी.पी.एल. सूची के अनुसार.. पर मेरा नाम अंकित है।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर गवाह :	हस्ताक्षर हितग्राही................................
नाम :................................	नाम ....

——————0——————

मध्य प्रदेश शासन

कृषि विभाग

क्रमांक / 2464 / 2700 / 14–2 / 2006 / भोपाल, दिनांक 04.8.2000

प्रति,

विषयः–आलू विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश।

––––0––––

योजना का प्रारंभ :– राज्य शासन की वित्त पोषित योजना से आलू विकास योजना अभी तक विभाग द्वारा सीधे क्रियान्वित की जाती रही है। वर्ष 2000–20001 से इसके क्रियान्वयन की नई प्रणाली निर्धारित की जा रही है।

योजना का उद्देश्य :–

1. यह राज्य पोषित योजना है, इस योजना का उद्वेश्य प्रदेश में आलू फसल के उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का प्रदर्शन एवं उन्नत जातियों के रोपण को बढ़ावा देकर क्षेत्र विस्तार कर उत्पादन एवं उत्पादकाता को बढ़ाना है।

2. प्रान्त की जलवायू एवं मृदा के अनुकूल आलू प्रजातियों के प्रसार की संभावनाओं का पता लगाना एवं उन क्षेत्रों में उत्पादकों को प्रेरित कर क्षेत्र बढ़ाना।

3. आलू के क्षेत्र में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना।

योजना का क्रियान्वयन

क्रमाक	कार्य का विवरण	उत्तरदायित्व	निर्धारित समय सीमा
1.	राज्य स्तर से लक्ष्यों का निर्धारण	संचालक उद्यान	30 अप्रैल
2.	विकास खण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	30 मई
3.	ग्राम समूह (क्लस्टर) का चयन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	15 जून
4.	हितग्राहियों का चयन	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	30 जून
5.	ग्राम सभा से सूची का अनुमोदन	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	10 जुलाई
6.	ग्राम सभा द्वारा अनुमादित सूची वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	15 जुलाई

	प्रस्तुत करना।		
7.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सभा से अनुमोदित सूचियों को संकलित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना।	ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी	20 जुलाई
8.	जनपद पंचायत द्वारा सूची का अनुमोदन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	30 जुलाई
9.	जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित सूची जिला पंचायत एवं उप/सहायक संचालक उद्यान को प्रस्तुत करना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	5 अगस्त
10.	जिला पंचायत द्वारा सूचियों का अनुमोदन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	10 अगस्त
11.	जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित सूची उप/सहायक संचालक उद्यान एवं जनपद पंचायत को वापस उपलब्ध कराना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	20 अगस्त
12.	जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित सूची वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी को वापस उपलब्ध कराना।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	25 अगस्त
13.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची ग्रा.उ.वि. अधिकारी को वापस उपलब्ध कराना।	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	30 अगस्त
14.	आदान सामग्री की व्यवस्था	उप/सहायक संचालक उद्यान	30 सितम्बर
15.	आदान सामग्री की वितरण व्यवस्था 10 अक्टूबर से प्रारंभ	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी ग्रा.उ.वि.अधिकारी	15 नवम्बर तक

<u>आवेदन – पत्र</u>

प्रति,

उप/सहायक संचालक, उद्यान

जिला ....

——————0——————

विषयः–..योजना के अंतर्गत बीज उपलब्ध कराने के लिये आवेदन पत्र।

मैं, ... पिता/पति श्री .... वार्ड क्र............................ ग्राम .... ग्राम पंचायत....................................... विकास खण्ड..................................... जिला............................ का निवासी हूँ।

निवेदन है कि योजना के संबंध में विभागीय अधिकारियों द्वारा मुझे पूर्ण जानकारी दे दी गई है। मैं इस योजना में हितग्राही के रूप में सम्मिलित होना चाहता हूँ।

मैं, विभागीय अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर गवाह :

नाम :................................

हस्ताक्षर हितग्राही................................

नाम ....

——————0——————

Eklkyk fodkl

मसाले वाली फसलों का मिनीकिट वितरण :—

योजना में अदरक, हल्दी, लहसुन, धनिया एवं मिर्च के मिनीकिट चयनित जिलों में वितरित किये जाते है। फसलवार चयनित जिले निम्ननुसार है।

अदरक :— टीकमगढ़, सागर, छिन्दवाड़ा, खरगौन, सीधी।

हल्दी :— जबलपुर, टीकमगढ़, खरगौन, खण्डवा, सीहोर।

लहसुन :— इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, नीमच, रतलाम, देवास, धार, छिन्दवाड़ा, रतलाम, मुरैना।

मिर्च :— खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, धार, श्योपुर, मुरैना, बैतूल, छिन्दवाड़ा, मन्दसौर, रतलाम।

इस योजना के तहत धनिया एवं मिर्च के लिए रूपये 100/— अदरक के लिए रूपये 350/— लहसुन एवं हल्दी के लिए रूपये 250/— के बीज मिनीकिट दिये जाते है।

——————0——————

iq"Ik fodkl

पुष्प प्रदर्शन :–

प्रदेश में पुष्प के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रदर्शन की योजना स्वीकृत की गई जिसमें गुलाब, रजनीगंधा, आस्टर, गेंदा, गुलदाउदी, ग्लेडीओलाई आदि प्रमुख पुष्पों के 0.04 हेक्टर (400 वर्ग मीटर पर) में कृषकों के यंहा प्रदर्शन डाले जाते है। प्रति प्रदर्शन बीज, पौध, बल्ब, सकर्स पर 4000/– रूपये के आधार पर प्रति प्रदर्शन 75 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 3000/– जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है।

——————0——————

vkS"k/kh; ,oa lqxaf/kr Qlys

अजवाइन, इसबगोल, सर्पगंधा, अश्वगंधा एवं अन्य फसलों के मिनीकिट रूपयें 150/– की वित्तीय सीमा तक वितरण किये जाने का प्रावधान है।

——————0——————

izf’k{k.k

मशरूम प्रशिक्षण :–

कृषकों को मशरूम उत्पादन का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए रीवा, जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, केन्द्रों में 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें कृषकों को यातायात, भोजन एवं आवास पर रूपये 500/– प्रति हितग्राही वित्तीय प्रावधान है।

फल प्रशिक्षण केन्द्र :–

फल एवं सागभाजी परिरक्षित पदार्थ जैम, जैली, मुरब्बा अचार, चटनी, केचप, सांस, शरबत आदि बनाने का प्रशिक्षण इन्दौर में महिलाओं को दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं रीवा में भी विभागीय तौर पर प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

——————0——————

मध्य प्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन

d`"kdksa ds fy, ;kstukvksa ds ekxZn'khZ fooj.k

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन निम्न उद्देश्यों को लेकर देश में प्रारम्भ किया है। अन्य राज्यों के साथ–साथ मध्य प्रदेश के चयनित 20 जिलों में मिशन कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

उद्देश्य :–

1. प्रदेश/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और इसके विविध कृषि मौसम विशेषताओं के साथ सांमजस्य रूप में क्षेत्र आधारित स्थानीय विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से बागवानी क्षेत्र की सर्वाणीण वृद्धि।
2. बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिए आय सृजन में सहायता करना।
3. कुशल और अकुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन के अवसरों का निर्माण करना।
4. उत्पाद की कटाई या तुड़ाई के बाद उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना।

कृषकों को राज्य उद्यानिकी मिशन/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/ राज्य उद्यानिकी योजनाओं/ अन्य संस्थाओं की योजनाओं में से किसी एक का लाभ क्रियान्वित वर्ष में लेने की पात्रता होगी। राज्य उद्यानिकी मिशन अन्तर्गत कृषक को एक बार में एक ही योजना का लाभ क्रियान्वित वर्ष में दिया जावेगा। जिलो को भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के अनुरूप समय–समय पर राज्य उद्यानिकी मिशन के द्वारा किस्तों में धनराशि उपलब्ध कराई जावेगी। मिशन के समस्त घटकों का क्रियान्वयन, दिशा निर्देश, सिद्वातों का पालन करते हुए जिला मिशन सोसाइटी के अनुमोदन से कराया जाएगा।

1– पौध रोपण सामग्री का उत्पादन :–

1.1 माडल नर्सरी (बड़ी) शासकीय क्षेत्र में ली जाऐगी।

1.2 माडल नर्सरी (बड़ी) निजी क्षेत्र के लिए :–

नर्सरी की स्थापना जिसका क्षेत्रफल 4 हैक्टर से कम न हो, निर्धारित मापदण्डो के अनुसार आवेदक को नर्सरी क्षेत्र में निम्नाकित निर्माण/ विकास कार्य कराना आवश्यक होगा, अन्यथा अनुदान में सामानुपातिक कटौती की जा सकेगी। जैसे– फॅन्सिग, सिंचाई व्यवस्था, मातृ वृक्ष, फल पौध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारण, मृदा निर्जीवीकरण, वकिंग शेड, मौसम प्रेक्षण इकाई, मृदा परीक्षण किट, आदि। माडल नर्सरी (प्राइवेट) हेतु राज्य उद्यानिकी मिशन द्वारा इच्छुक आवेदकों से एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट बुलाये जावेंगे जो सीधे संबंधित जिले में प्रस्तुत

होंगे। आवेदक को आवश्यक निर्माण/विकास कार्यो हेतु बैंक से ऋण लेना होगा जिसके लिये आवेदक को सुस्पष्ट परियोजना प्रस्ताव बैंक को प्रस्तुत करना होगा। जिले में प्राप्त समस्त आवेदनों को जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, अपने कार्यालय में पंजीयन करेगा। प्रकरणों का परीक्षण कर जिला उद्यानिकी मिशन कार्यकारिणी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। निर्धारित मापदण्डों के आधार पर अनुदान हेतु पात्र प्रस्ताव को संलग्न किया जावेगा। तद्पश्चात हितग्राही जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे। आवेदक को जिला उद्यानिकी मिशन के साथ एक 'करार' भी निष्पादित करना होगा कि उत्पादित पौधों में से आवश्यक पौधों की प्रदायगी, मिशन को सुनिश्चित करेगा नर्सरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4 लाख पौधे की होगी। आवेदक को एक ही नर्सरी का लाभ दिया जावेगा। सभी वर्गो के आवेदकों (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, बड़े एवं महिला) को एक समान अनुदान की पा?ता होगी। अधिकतम अनुदान स्वीकृत राशि रूपये 9.00 लाख होगी।

1.3 मॉडल नर्सरी (छोंटी) निजी क्षेत्र के लिये :—

इसमें भी मॉडल नर्सरी (बड़ी) के विवरण अनुसार चयन एवं स्वीकृति प्रक्रिया अपनाई जायेगी। नर्सरी का क्षेत्रफल न्यूनतम 1.00 हैक्टर एवं वार्षिक कलमी पौधों की उत्पादन क्षमता 60,000 से 80,000 तक होना आवश्यक होगा। गुणवता के पौधे तैयार करने की जिम्मेदारी हितग्राही की होगी। इकाई लागत रूपये 3.00 लाख होगी जिस पर रूपये 1.50 लाख का अनुदान दिया जायेगा।

1.4 सब्जी बीज उत्पादन :—

1.4.1 शासकीय क्षेत्र में बीजोत्पादन

1.4.2 निजी क्षेत्र में बीजोत्पादन :—

निजी क्षेत्र के प्रक्षेत्र धारकों को सब्जी पौध उगाने एवं बीज उत्पादन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। जिलो उद्यानिकी मिशन द्वारा आवेदन/प्रस्ताव निजी प्रक्षेत्र धारकों से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्राप्त करेंगें, आधार बीज एवं प्रमाणित बीज उत्पादन का हितग्राही को पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है। आवेदक को दिशा निर्देशों के अनुरूंप आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे—2000 वर्ग मी. में ग्रीन हाउस का निर्माण, इन्सेक्ट प्रूफ नेटिंग तथा रोलिंग पाली शीट की व्यवस्था कर उत्तम गुणवत्ता के बीज एवं पौध तैयार करने होगें। बीज उत्पादक कृषक को उत्पादित सामग्री के विक्रय मूल्य पर नियंत्रण रखे जाने एवं आवश्यक मात्रा में उपार्जित किये जाने के प्रावधान सम्बन्धी वचन—पत्र देना आवश्यक होगा।

आवेदक के द्वारा आगामी वर्षो में भी उद्देश्यों के पूर्ति के लिय स्वयं के व्यय से बीज उत्पादन गतिविधि को संचालित करना होगा। प्रस्ताव में अधोसंरचना के साथ—2 सब्जी पौध उत्पादन के लिए अधिकतम राशि रूपये

25000.00 प्रति हेक्टर पांच हेक्टर क्षेत्रफल तक स्वीकृत की जा सकेगी। अनुदान यूनिट कास्ट का 50 प्रतिशत् अथवा वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत जो कम हो देय होगा।

1.4.3 निजी क्षेत्र में बीज अधोसंरचना :–

वर्ष 2005–06 की कार्य योजना में निजी क्षेत्र में बीज अधोसंरचना विकास के लिये राशि का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

1.4.4 शासकीय क्षेत्र में बीज अधोसंरचना :– विभाग के पांच प्रक्षेत्रों में।

2. नये फलोद्यानों की स्थापना :–

कृषकों को नये क्षेत्र में आंवला, संतरा एवं केला रोपण एवं कृषि के लिये निम्नानुसार अनुदान सहायता दी जावेगी :–

नाम फलोद्यान	अधिकतम अनुदान सीमा (रूपये हैक्टर)			
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	योग
आवंला	11250	4500	6750	22500
संतरा	11250	4500	6750	2250
केला	7500	–	–	7500

एक वर्षीय फलों की फसल केला में भी आगामी दो वर्षो में रेटून (जड़ी) फसल लेने पर बैंक ऋण पर पश्चातवर्ती अनुदान देय होगा। अनुदान पौध जीवितता के मानक एक वर्ष बाद 75 प्रतिशत दूसरे वर्ष अनुरक्षण अनुदान हेतु तथा रोपण के दो वर्ष बाद 90 प्रतिशत तीसरे वर्ष की अनुदान किस्त जारी करने हेतु निर्धारित है। आवंला एवं संतरा के पौध रोपण पर सभी वर्गो के लिये निर्धारित समान अनुदान (75 प्रतिशत) चार हैक्टर की सीमा तक देय होगा। सहायता का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.25 हैक्टर होगा।

जिलेवार स्वीकृत फल इस प्रकार है :–

ऑवला : बड़वानी, भोपाल, जबलपुर, झाबुआ, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन।
संतरा : बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन।
केला : बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, धार, होशंगाबाद, खण्डवा, खरगौन।

2.1 पुष्प : जिले – भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन :–

पुष्प क्षेत्र विस्तार में तीन वर्गो में निम्न प्रजातियों के पुष्पों के लिये अलग–अलग सहायता प्रदान की जावेगी –

कट – गुलाब, गुलदाउदी।
बल्बस – ग्लेडिओलस, टयूबरोज।

लूज – गेंदा, एस्टर, ग्लारडिआ, एनुअल क्राईसेन्थिमम।

वर्ष 2005–06 में उपरोक्त में से केवल लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत बैंक ऋण पर पश्चातवर्ती अनुदान सहायता प्रदान की जावेगी। सहायता का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.25 हैक्टर होगा। अगले वर्ष से 1 हैक्टर इकाई के लिये सहायता निम्नानुसार दी जावेगी :–

विवरण	लागत / हैक्टर (रूपये)	अधिकतम अनुदान सीमा (रूपये / हैक्टर)	
		लघु / सीमांत कृषक	अन्य
कटफ्लावर्स	127000	35000	23100
बल्बस	177000	45000	29700
लूजफ्लावर्स	36500	12000	7920

2.2 मसाला :–

कृषकों को एक समान अनुदान सहायता अधिकतम 4 हैक्टर की सीमा तक (रूपये 11250/– प्रति हैक्टर या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम होगी) प्रदान की जावेगी। सहायता का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.25 हैक्टर होगा। जिलेवार स्वीकृत मसाला फसलें इस प्रकार है :–

मिर्च — बुरहानपुर, छिंदवाड़ा,धार इंदौर,खण्डवा, खरगौन, सागर, गड़वानी
धनियॉ — देवास, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर।
लहसुन — देवास, इन्दौर, झाबुआ, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन

उपरोक्त लाभार्थियों का चयन संभावनायुक्त नये क्षेत्रों में। ग्रामों व कृषकों के कलस्टर के रूप में किया जावेगा।

3. आम, संतरा, अमरूद के पुराने बगीचों का जीर्णोद्वार

जीर्णोद्वार के कार्यक्रम में निम्न लिखित कार्य किये जाना अनुशंसित है :–

1. पुनर्रोपण एवं अन्तर रोपण के लिये पौधों की पूर्ति
2. उर्वरक, वृद्वि हार्मोन, सूक्ष्म पोषक तत्व रसायनिक एवं जैविक, कीटनाशी, फफूंदनाशी आदि विभिन्न आदानों एवं उद्यानिकी टूल्स की पूर्ति।

3. पुराने वृक्षों की कटाई छंटाई एवं शस्य क्रियाओं को अनुशंसा के अनुसार अपनाना।

आम के 25–30 वर्ष एवं संतरा के 12 वर्ष पुराने बगीचों के लिये कृषकों को अनुदान सहायता प्रदान की जावेगी।

योजना के अन्तर्गत कृषक को न्यूनतम 0.250 हैक्टर एवं अधिकतम 2 हैक्टर की सीमा तक ही अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी। योजना घटक के अन्तर्गत समस्त वर्गो के कृषकों के लिये निर्धारित समान अनुदान 2 हैक्टर की सीमा तक अनुमानित लागत राशि रूपये 20500/– आम के लिये तथा रूपये 23700/– संतरा के लिए, का 50 प्रतिशत रूपये 15000/– सिर्फ देय होगा।

यचनित जिले :–

आम : भोपाल, बैतूल, देवास, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, सागर एवं उज्जैन।

संतरा : बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंदसौर एवं शाजापुर।

4. जल स्त्रोतों का निर्माण :

मिशन अन्तर्गत उद्यानिकी फसलों के चयनित क्लस्टरों में उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल स्त्रोतों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही पुराने तालाबों पोखरों को डिसिलटिंग एवं गहरीकरण किया जाकर भी जल स्त्रोतों का निर्माण किया जा सकता।

जल स्त्रोतों पूर्णतया सामुदायिक उपयोग के लिये बनाये जावेंगे, इसमें किसी का एकाधिकार नहीं होगा। यह प्रथमतः शासकीय भूमि अथवा कृषकों के निजी स्वामित्व वाली भूमि जलाशयों के निर्माण के साथ–साथ लाभार्थियों को चिन्हित किया जाकर एक उपयोगकर्ता समूह बनाया जावेगा। भविष्य में यह जल उपयोगकर्ता समूह, जल–सत्रोतों का अनुरक्षण करेगा। जल उपयोगकर्ताओं से किसी प्रकार के शुल्क वसूले जाने का प्रस्ताव नही है। जलाशय निर्माण शासकीय एजेन्सीयों द्वारा किया जाएगा।

5. एकीकृत पोषक तत्व एवं एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन :–

5.1 एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन :– (INM) एवं एकीकृत नाशीजी प्रबंधन (IPM)

इन दोनों घटकों की फोकस फसलें आम, संतरा, धनियां, मिर्च एवं लहसून है। नियंत्रण उपाय निदान के पश्चात रूपये 1,000/– प्रति हेक्टेयर की सीमा में प्रयोग किये जावेंगे। सभी वर्गो के कृषकों (सामान्य, अनय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत, बड़े एवं महिला) को एक समान सहायता 4 हैक्टर की सीमा तक देय होगा। सहायता का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.25 हैक्टर होगा।

घटक के अंतर्गत फसलवार स्वीकृत जिले इस प्रकार है :-

आम :	बैतूल, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ एवं सागर।
संतरा :	बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, मंदसौर, शाजापुर एवं उज्जैन।
केला :	बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, धार, होशंगाबाद, खण्डवा एवं खरगौन।
मिर्च :	बड़वानी बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, इंदौर, खण्डवा, खरगौन एवं सागर।
लहसुनः	देवास, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर एवं उज्जैन।
धनियॉ :	देवास, जबलपुर, इन्दौर, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर।

6. आर्गेनिक फार्मिगं :-

घटक के अंतर्गत बायो फार्टिलाइजर आर्गेनिक मैन्योर, बायो गैस स्लरी, वर्मी कम्पोस्ट, बायो कंट्रोल एजेन्ट्स एवं बायो पेस्टीसाईड के उपयोग से होने वाले लाभकारी परिणाम से अवगत कराने हेतु कृषकों को मिशन के अंतर्गत चुनी हुई फसलों संतरा, आम, मिर्च, लहसून एवं धनियॉ में रूपये 10,000/- प्रति हैक्टर के मान से सहायता प्रदान की जावेगी। सभी वर्गो के कृषकों को एक समान अनुदान (50 प्रतिशत) चार हैक्टर की सीमा तक प्रदान की जा सकेगी। सहायता का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.25 हैक्टर होगा।

घटक के अन्तर्गत फसलवार स्वीकृत जिले इस प्रकार है :-

आम :	बैतूल, होशंगाबाद, सागर एवं झाबुआ।
संतरा :	बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शाजापुर एवं मंदसौर।
मिर्च :	सागर, छिंदवाड़ा, धार, खरगौन एवं खण्डवा।
लहसुनः	उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, इंदौर एवं झाबुआ।
धनियॉ :	जबलपुर, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, देवास, इंदौर।

7. वर्मी कम्पोस्ट युनिट :-

कार्बनिक अपशिष्ट जैसे फसल अवशेष, फार्मयार्ड वेस्ट, नींदा, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य प्रकार के अपशिष्ठ को शीघ्र विगलित कर उत्तम कार्बनिक खाद के रूप परिवर्तित करने के लिये कृषकों को रूपये 20,000/- तक की लागत वाली कम्पोस्ट युनिट की संरचना के निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान (रूपये 10,000/-) बैंक ड्राफ्ट से प्रदान किया जावेगा। एक कृषक को अधिकतम दो इकाईयों पर लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।

8. मानव संसाधन विकास (HRD):– इस घटक के अन्तर्गत कृषकों, कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों के कौशल उन्नयन एवं ज्ञान वृद्वि के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सह भ्रमण तथा अधोसंरचना के विकास के विभिन्न कार्यक्रम लिये जावेगें।

8.1 गोर्डेनर ट्रेनिंग कोर्स :– होशंगाबाद, सागर, इंदौर एवं भोपाल के विभागीय माली प्रशिक्षण केन्द्रों में यह कोर्स 6 माह की अवधि के लिये संचालित किया जावेगा। प्रत्येक 6 माह के सत्र में 25–25 प्रशिक्षणार्थियों को बैच में प्रशिक्षण दिया जावेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि परिश्रमी बैरोजगार युवा उद्यानिकी का पूर्ण व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को शिष्यवृति (Stipend) प्रदान की जावेगी, जिससे प्रशिक्षणार्थी अपने भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करेंगे।

प्रशिक्षणार्थियों का चयन संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों को क्षेत्राधिकार (जिसका विवरण दिया जा रहा है) से करेंगे।

कमांक	**नाम प्रशिक्षण केन्द्र**	**प्रशिक्षण केन्द्र के अधीन आने वाले जिले**
1	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा
2	कड़ता (सागर)	सागर, जबलपुर, मण्डला, डिण्डोरी
3	भोपाल	भोपाल, उज्जैन संभाग के सभी जिले नीमच को छोड़कर
4	इंदौर	इंदौर संभाग के सभी जिले

8.2 कृषकों का प्रशिक्षण सह–भ्रमण :–

इस उपघटक के अन्तर्गत दो प्रकार के प्रशिक्षण–सह–भ्रमण का प्रावधान है।

8.2.1 राज्य के भीतर प्रशिक्षण सह–भ्रमण :–

एक दल में कुल सदस्यों की संख्या – 30 कृषक
प्रति सदस्य राशि का प्रावधान – रू. 1500/–प्रति कृषक
भ्रमण के कुल दिन – 7 दिन

8.2.2 राज्य से बाहर प्रशिक्षण सह–भ्रमण (प्रति कृषक रूपये 2500/–) :–

एक दल में कुल सदस्यों की संख्या – 30 कृषक
प्रति सदस्य राशि का प्रावधान – रू. 2500/–प्रति कृषक
भ्रमण के कुल दिन – 7 दिन

8.2.3 प्रशिक्षण अद्योसंरचना का विकास

8.2.4 संचार साधन का विकास

9. फसलोत्तर प्रबंधन :– (Post Harwest Management)

9.1 पैक हाऊस का निर्माण :– अधिकतम लागत रूपये 2.50 लाख पर 25 प्रतिशत अनुदान (रूपये 62,500/–) दिया जावेगा। हितग्राही के बैंक ऋण के खाते में पश्चावर्ती अनुदान दिया जावेगा।

9.2 रेफ्रीजरेटेड वैन/कंटेनर :– इकाई लागत रूपये 24.00 लाख पर 25 प्रतिशत सहायता अथवा 6.00 लाख जो भी कम हो बैंक ऋण पर पश्चात्वर्ती अनुदान के रूप में दिया जावेगा।

9.3 रूरल मार्केट (फल, सब्जी) :– ग्रामीण क्षेत्रों में एक मार्केट के निर्माण पर रूपये 15.00 लाख की लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान अथवा रूपये 3.75 लाख जो भी कम हो बैंक ऋण पर पश्चात्वर्ती अनुदान दिया जावेगा।

9.3 जीरो एनर्जी कल चेम्बर :–

10. तकनीकी का प्रसार :– कृत्रिम रूप से निर्मित/नियंत्रित वातावरण में खेती/नर्सरी कार्य, आर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कम्पोस्ट, प्लास्टिक कल्चिंग, आय.एन.एम./आई.पी.एम. आदि तकनीक का जीवंत प्रदर्शन शासकीय रोपणियों एवं कृषि महाविद्यालय में किया जावेगा।

11. मधुमक्खी पालन

12. संरक्षित खेती

12.1 लघु सीमांत (ग्रीन हाउस)

12.2 अन्य कृषकों के लिये

12.2.1 हाईटेक ग्रीन हाउस

12.2.2 मल्चिंग

12.2.3 शेडनेट

——————0——————

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत सब्जी बीजोत्पादन पर अनुदान अनुसहायता के लिये आवेदन पत्र

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान,

जिला...

विषयः—सब्जी बीजोत्पादन पर सहायता हेतु आवेदन।

मैं.. आत्मज श्री .... ग्राम .... विकास खण्ड .... जिला .... का कृषक हूँ। मैं राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के सब्जी उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार विवरण की भूमि पर सब्जी बीजोत्पादन कार्यक्रम लेने का इच्छुक हूँ।

क्रं	क्षेत्रफल हेक्टर में	खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में सब्जी बीजोत्पादन हेतु
1.			
2.			
3.			
4.			
	योग		

उपरोक्त भूमि कृषि मौसम .... वर्ष में नाम सब्जी बीज .... का हेक्टर में उत्पादन लेना चाहता हूं। प्रस्तावित क्षेत्रफल में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। में संचालनालय उद्यानिकी में .... सब्जी बीज आधार श्रेणी का मैंने .... संस्था अथवा संचालनालय उद्यानिकी से .... मात्रा में प्राप्त कर लिया/ अरक्षित करा लिया है प्रमाण स्वरूप जमा की गई राशि की रसीद संलग्न है। यदि मुझे बीजोत्पादन के लिये मिशन से सहायता प्राप्त होने का आश्वासन दिया जाता है। तो मै मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीरकण संस्था से बीज प्रमाणीकरण पंजीयन हेतु कार्यवाही करूंगा।

बीज प्रमाणीकरण पश्चात सहायता हेतु प्रमाणीकरण प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत करूंगा।

कृपया मुझे .... हेक्टर के लिये बीज उत्पादन पर निर्धारित सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम कृषक ....

ग्राम ....

विकासखण्ड ....

जिला ....

नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत नये उद्यानों (फल, मसालों एवं पुष्प) के नये क्षेत्र में रोपण/उगाने के लिये अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान
जिला .... ।

द्वारा : ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखण्ड ....

मैं .... आत्मज श्री .... ग्राम .... विकासखण्ड .... जिला .... का निवासी हूं। मेरे स्वामित्व में .... कुल .... हेक्टर भूमि है। मेरे स्वामित्व की भूमि मैं योजना के घटक .... का लाभ लेना चाहता हूं, का विवरण निम्नानुसार है व खसरा पांचसाला एवं नक्शा की सत्यापित प्रति संलग्न है।

क्रं.	खसरा नं.	रकबा	फसल का नाम
1.			
2.			
3.			
4.			
	योग		

मैंने उद्यान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुदान योजना का विवरण/जानकारी प्राप्त कर ली है। पौध रोपण फसल क्षेत्र विस्तार के सिंचाई स्त्रोत का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रं.	सिंचाई स्त्रोत	साधन	सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर)	सिंचाई जल की उपलब्धता (अवधि उल्लेख करें)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

मैं अनुदान सहायता में प्राप्त पौध/बीज रोपण सामग्री को अनुशंसित फसल उत्पादन तकनीक के अनुसार रोपण करूंगा एवं फल के पौधों को जीवितता 100 प्रतिशत रखने एवं अनुरक्षण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मेरे द्वारा रोपित पौधों को एक वर्ष बाद 75 प्रतिशत से कम पाया गया तो मुझे योजना से पृथक किया जा सकेगा। यदि रोपण के दो वर्ष बाद रोपित पौधों का जीवितता प्रतिशत 90 प्रतिशत से कम पाया गया तो मुझे तीसरे वर्ष में प्राप्त होन वाली सहायता अनुदान से वंचित किया जा सकेगा।

विभागीय अमले के द्वारा की गई अनुशंसाओं का पालन करने के लिए वचनबद्व रहूंगा। विभागीय अधिकारी/कर्मचारी अनुदान सहायता के द्वारा रोपित फसल का किसी भी समय निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगें।

हस्ताक्षर गवाह

1 ....

2 ....

(हस्ताक्षर)

कृषक का नाम

ग्राम ....

पोस्ट ....

विकासखण्ड ....

जिला ....

आम/संतरा के पुराने बगीचों के जीर्णोद्वार हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान

....

द्वारा वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी विकासखंड

विषयः—नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत आम, संतरा, के पुराने बगीचों के जीर्णोद्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन।

निवेदन है कि मैं, ... तनय श्री .... ग्राम .... विकास खण्ड .... का निवासी हूं। मेरे स्वामित्व की भूमि क्षेत्रफल .... हेक्टर खसरा नंबर .... में आम/संतरा के .... वर्ष पुराना बगीचा है तथा उसके फलन को स्थिति काफी कम हो गई है। जीवित पौधों की संख्या .... है तथा .... प्रतिशत पौधे मृत हो चुके है। मैं अपने आम/संतरे के बगीचों का योजना के द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहता हूँ।

अतः .... हेक्टर हेतु सहायता प्रदान करने का कष्ट करें बगीचें की सिंचाई के लिये .... सुविधा है जो पर्याप्त/अपर्याप्त है।

प्रार्थी

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

एकीकृत पोषक तत्व एवं नाशीजीव प्रबंधन हेतु सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान
जिला ....

विषयः—वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, विकास खण्ड .... जिला ....

निवेदन है कि मैं, ... तनय श्री .... ग्राम .... विकास खंण्ड .... का निवासी हूं। मेरे स्वामित्व की भूमि क्षेत्रफल .... हेक्टर में आम/संतरा/केला/मिर्च की फसल लगी हुई है। मैं, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत एकीकृत पोषक तत्व एवं नाशीजीव प्रबंधन हेतु सहायता प्राप्त करना चाहता हूं। मैं विस्तार अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आदान का उपयोग करूंगा साथी ही मैं प्रमाणित करता हूॅ कि मैंने अपनी फसल पर रासायनिक उर्वरक एवं दवाओं का उपयोग नहीं किया है।

फसलवार विवरण इस प्रकार है :—

क्रं.	फसल का नाम	क्षेत्रफल	खसरा नंबर
1.			
2.			
3.			
4.			
	योग		

मुझे योजना के प्रावधान अनुसार सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रार्थी हस्ताक्षर

नाम : ....

ग्राम : ....

आर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान
जिला ....

विषयः—वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, विकास खण्ड .... जिला ....

मैं, ... आत्मज श्री .... ग्राम .... विकास खंण्ड .... का कृषक हूं। मेरे स्वामित्व की .... हेक्टर भूमि। मैंने निम्नानुसार विवरण की भूमि में संतरा/आम/मिर्च/लहसून/धनियां/फसल लगाई है ताकि उसमें किसी प्रकार अकार्बनिक उर्वरक, सिंथेटिक उर्वरक उपयोग नहीं किया है और न ही मैं फसल समाप्त होने पर इन उर्वरकों का उपयोग करूंगा :—

क्रं.	**फसल का नाम**	**क्षेत्रफल**	**खसरा नंबर**
1.			
2.			
3.			
4.			
	योग		

उद्यान विस्तार अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहायता स्वरूप आदान सामग्री का पूर्ण उपयोग उनके द्वारा बताई गई विधि एवं समय अनुसार करूंगा। कृपया मुझे योजना के अंतर्गत .... हेक्टर क्षेत्रफल के लिये सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम : ....

नेशनल हार्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान
जिला ....

विषयः—वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, विकास खण्ड .... जिला ....

मैं, ... आत्मज श्री .... ग्राम .... विकास खंण्ड .... का निवासी हूं। मेरे स्वामित्व की .... हेक्टर भूमि एवं पशुधान निम्नानुसार है :—

क.	**क्षेत्रफल**	**खसरा नंबर**
1.		
2.		
3.		
4.		
कमांक	**नाम पशुधन**	**संख्या**
1.	गाय	
2.	बैल	
3.	भैंस	
4.	बकरी	
5.	भेड़	
6.	अन्य	
	योग	

मैं, वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापित करने के उपरान्त विस्तार अधिकारियों द्वारा बताई गई विधि अनुसार अधिक से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर अपनी फसलों में उपयोग करूंगा।

अतः मेरे एक वर्मी कम्पोस्ट इकाई में आर्थिक सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

केन्द्र पोषित योजना

lw{e flapkbZ

(ड्रिप एवं छिड़काव सिंचाई)

मार्गदर्शिका

योजना का स्वरूप

यह एक केन्द्र द्वारा प्रायोजक योजना है। जिसमें सूक्ष्म सिंचाई (एम.आई.) प्रणाली की कुल लागत में से 40 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार, 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार और शेष 50 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। लाभार्थी इस स्वयं अपने संसाधनों से या वित्तीय संगठनों से आसान कर्ज द्वारा वहन कर सकते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है। कि सरकारी सहायता में से 80 प्रतिशत हिस्सा (यूनिट लागत का 40 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 20 प्रतिशत (यूनिट लागत का 10 प्रतिशत) प्रतिभागी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। संबंधित राज्य अपना 20 प्रतिशत हिस्सा वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी (आई.ए.) को उपलब्ध कराएंगे।

सहायता का स्वरूप

ड्रिप सिंचाई के मामले में इस सहायता को विशिष्ट फसल अंतराल तथा किसान द्वारा फसल के तहत शामिल क्षेत्र के लिए प्रणाली की कुल लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। छिड़काव सिंचाई में भी सहायता को कुला लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। दोनों ही मामलों में सहायता को प्रति लाभार्थी परिवार के लिए पांच है. तक सीमित रखा जाएगा। राज्य/केन्द्र सरकार से संबंधित फार्मो, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भा.कृ.अ.प. संस्थानों, प्रगतिशील किसानों तथा गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट से संबंधित फार्मो पर सूक्ष्म सिंचाई के प्रदर्शन के लिए सहायता 0.5 है. प्रति लाभार्थी के अधिकतम क्षेत्र के लिए लागत @ 75 प्रतिशत के सम्पूर्ण रूप में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना में किसानों के सभी वर्गो को शामिल किया जाएगा इसमें कृषि क्षेत्र के आकार को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यद्यपि लाभार्थी का चयन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कि इस प्रणाली की आपूर्ति करने में छोटे तथा सीमांत किसानों को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाए। कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थी छोटे तथा सीमांत किसान होंगे। लाभार्थियों का चयन करते समय पंचायती राज संगठनों को शामिल किया जाएगा।

सूक्ष्म सिंचाई के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी परिवार के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन फार्म का प्रपत्र (फार्मेट)

किसान का नाम	:	
पिता का नाम	:	
पति का नाम (यदि महिला है तो)	:	
जाति	:	
ग्राम	:	
ब्लाक / तालुका	:	
जिला	:	
इनके नाम पर कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	:	
खेत की सर्वेक्षण संख्या	:	
यह प्रणाली कहां स्थापित करना चाहते हैं (तालाटी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	:	
क्या इनके परिवार के सदस्यों ने पूर्व में भारत सरकार की किसी स्कीम से सब्सिडी प्राप्त की है।	:	हां / नहीं
यदि हां तो इसका विवरण दें क्षेत्र (है0)	:	
शामिल फसलें (है0)	:	
स्थापना का वर्ष	:	
उगाई जाने वाली फसलें	:	
वांछित प्रणाली का प्रकार	:	
वह फसल जिसके लिए प्रणाली चाहिए यदि प्रणाली की जरूरत रोपण फसल के लिए है तो क्या कोई अंतः फसल भी शामिल करके प्राप्त की जाएगी?	:	
यदि हां, तो अंतः फसल का प्रकार	:	
सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र	:	

सिंचाई हेतु जल का स्त्रोत	:
यदि कुआं (वैल) है तो क्या खुला कुआं है या ट्यूबवैल	:
कुएं में जल तालिका की गहराई	:
ट्यूबवैल की गहराई	:
सिंचाई जल की गुणवत्ता (विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें)	:
कुएं के दैनिक उपयोग का समय	:
यदि नहीं है तो क्या भंडारण का कोई प्रावधान किया गया है	:
यदि हां, तो जलाशय की लम्बाई चौड़ाई कितनी है क्या कोई फार्म पौंड उपलब्ध है	:
यदि हां, तो पौंड की लम्बाई चौड़ाई कितनी है।	:
यदि जल का कोई स्त्रोत नहीं है तो क्या योजना है।	:
प्रतिदिन बिजली कितने घंटे उपलब्ध होती है।	:
बिजली उपलब्धता के घंटे	:
पम्प की हार्स पावर	:
डीजल इंजन की हार्स पावर	:
भूमि की लम्बाई चौड़ाई	:
क्या मृदा समस्याग्रस्त है या अच्छी है (प्रति संलग्न) मृदा गहराई	:

किसान लाभ प्राप्त करने वाले हस्ताक्षर

निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को संलग्न किया जाए :–

1. भूमि के मानचित्र के साथ सर्वेक्षण संख्या तथा इनके नाम पर खेत की क्षेत्रफल (है.) को संलग्न किया जाए।

2. इस संबंध में एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए कि अपने या आपके परिवार के सदस्यों (यदि संयुक्त है) ने भारत सरकारा की योजना के तहत छिड़काव/ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है।

3. पड़ोसी किसानों से इस संबंध में सहमति पत्र लिया जाए जो यंहा से पानीा लेना चाहते हैं यह उस मामले में लिया जाए यदि इनके पास पानी का कोई स्त्रोत नहीं है।

4. मृदा और जल परीक्षण रिपोर्ट

5. समझौता जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि ये तीन वर्ष की अवधि तक इस प्रणाली को किसी भी व्यक्ति को बेचेंगे या प्रतिदान या किराए पर नहीं देगें।

6. यह तीन वर्ष की अवधि के दौरान कृषि/बागवानी/डी.आर.डी.ए. या अन्य किसी सरकारी कार्मियों के अपने खेत में इसे स्थापित की गई प्रणाली का निरीक्षण करने की अनुमति देंगे।

——————0——————

ljyhdj.k gsrq vfrfjDr lq>ko

उद्यानिकी क्षेत्र विस्तार अंतर्गत समायोजन, सब्जी, मसाला, पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना।

मुख्य सुझाव :–

उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए कृषकों द्वारा फेन्सिंग की मांग की जाती है। जिस पर प्रतिहेक्टर लगभग 40000/– रूपये व्यय अनुमानित है। जिसका विभागीय योजनओं के साथ समावेश न होने से कृषकों के खेत में फेंन्सिंग नही हो पाती है फलस्वरूप उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

वर्तमान व्यवस्था में वर्ष के माह जुलाई से मार्च तक पशुओं को बांध कर रखा जाता हैं। किन्तु गर्मी के माह अप्रैल, मई जून में ऐरा प्रथा होने से कृषकों के मवेशी खुले घूमते है। जिससे स्थाई उद्यानिकी फसलें जैसे फल विकास एवं सब्जी की जायद फसलों को पशुओं से नुकसान होने से कृषक उद्यानिकी फसलों में रूचि नहीं ले रहे है।

अतः शासन स्तर से सम्पूर्ण, वर्ष के लिये पशुओं को खुला छोड़ने (ऐरा प्रथा) को प्रतिबंधित किया जाये साथ ही अन्य प्रदेश विशेष कर राजस्थान से आने वालों पशुओं, भैंसे, भेड, ऊट के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।

आंगनवाडी योजना :–

आंगनवाडी, सिंचाई कुओं के आसपास योजना अन्तरगत पूर्व की तरह निशुल्क पोधे क्रमशः 5 व 10 बीजू फलदार पौधे कृषकों को उपलब्ध कराये जावे, जिससे ग्रामिण स्तर पर प्रत्येक को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो सके। तथा परिवार योजनान्तर्गत प्रति वर्ष प्रति विकास खंण्ड स्तर पर वर्ष में 500 फलदार पौधे आगंनवाडी के तहत, एवं 200 परिवार कुओं के आसपास का लक्ष्य निर्धारित किया जाये।

<u>उद्यानिकी योजनाओं में आदान सामग्री :–</u>

उद्यानिकी की समस्त योजनाओं में आदान सामग्री एक मुश्त समय पर दी जाये ताकि योजना का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

<u>उत्पादकता बढ़ाने हेतु बीज उत्पादन कार्यक्रम :–</u>

उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बीज रिपलेसमेंट का होना चाहिये इस हेतु प्रमाणित बीजों का उत्पादन कार्यो को प्राथमिकता देनी होगी। वर्तमान व्यवस्था में आधार से प्रमाणित बीज उत्पादन की प्रक्रिया एंव उसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिये, साथ ही किसानों द्वारा उत्पादित बीज का भी प्रमाणीकरण किया जावें।

––––––0––––––